Prasar Bharati (India's Public Service Broadcaster) Prasar Bharati Secretariat

Prasar Bharati House Copernicus Marg, New Delhi-110001

Dated: on September, 2019

No. N-10/001(6)/2015-PBRB

CIRCULAR

Subject: Notification of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India)
Director General (Akashvani) and Director General (Doordarshan)
Recruitment Regulations, 2019 published in Gazette of India
Extraordinary Part III Section 4 dated 2.9.2019.

A copy of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Director General (Akashvani) and Director General (Doordarshan) Recruitment Regulations, 2019 published in Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 dated 2.9.2019 and downloaded from the Government of India official website www.egazette.nic.in is enclosed for information of all concerned.

(Alok Kumar Sharma) Deputy Director (PBRB)

Encl: As above

To

- DG:AIR
- 2. DG:Doordarshan
- Director (Technical), Prasar Bharati, PB Secretariat for uploading the Gazette Notification on Prasar Bharati's website.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941

No. 306]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

सं.एन-10/001(6)/2015-पीबीआरबी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 की 25) की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पिठत धारा 9 और धारा 11 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) (भर्ती) सेवा विनियम, 2001 के पदों का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्ः

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) भर्ती विनियम, 2019 है।
 - 2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" से प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) अभिप्रेत;
 - (ख) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है; और
- (ग) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमश: अधिनियम में हैं।
- .3 पद संख्या, वर्गीकरण और पे मेट्रिक्स में लेवल:- उक्त पदों की संख्या वर्गीकरण और पे मेट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

- .4 भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (11) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **नियुक्ति प्राधिकारी:-** अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति, अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्थापित भर्ती बोर्ड होने के नाते, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- 6. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 7. शिथिल करने की शक्ति: जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगी।
- 8. **निर्वचन-** यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय निगम केंद्रीय सरकार के परामर्श से करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे मेट्रिक्स में लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
महानिदेशक	01	लागू नहीं	लेवल-16
(आकाशवाणी)	(2019)		(হ. 205400 – 224400)

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सीमा (6)	(6) (7)

परिवीक्षा अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धित चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नित से या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितयों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति /आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना
(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध सहित):	लागू नहीं

(अल्पावधि अनुबंध सहित)

- अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा के ग्रुप 'ए' के अधिकारी:-
- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; या
- (ii) पे मेट्रिक्स में स्तर 15 (रु. 182200-224100) में उच्च प्रशासनित ग्रेड में एक वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या
- (iii) पे मेट्रिक्स में लेवल 14 (रु. 144200-218200) में चार वर्ष की नियमित सेवा के साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध; और
- (ख) मीडिया या जन संचार या लोक प्रशासन में अनुभव; या
- II: स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक संस्थान या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:-
- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; या
- (ii) पे मेट्रिक्स या समकक्ष में लेवल 15 (रु. 182200-224100) में एक वर्ष की नियमित सेवा; या
- (iii) पे मेट्रिक्स या समकक्ष में लेवल 14 (रु. 144200-218200) में चार वर्ष की नियमित सेवा; और
- (ख) निम्नलिखित शिक्षा योग्यता और अनुभव रखते हों; अर्थात्:-
- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष;और
- (ii) पे मेट्रिक्स या समकक्ष पे लेवल 10 (रु. 56100-177500) या ऊपर के पद पर न्यूनतम पच्चीस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पंद्रह वर्ष किसी ऐसे संगठन में ज्येष्ठ कार्यपालक की हैसियत में कार्य किया हो जो मीडिया या जनसंचार या नीति योजना या लोक प्रशासन से संबंधित हो तथा जिसका उच्च प्रबंधकीय स्थिति में प्रमाणित और विशिष्ट रिकार्ड हो।

वांछनीय:-

इस पद से संबंधित क्षेत्र जैसे कि प्रसारण, वित्त, कार्मिक प्रबंध, समसामयिक विषय, प्रसारण इंजीनियरी और प्रौद्धोगिकी, संचार, कला और संस्कृति, शिक्षा आदि का व्यापक ज्ञान।

टिप्पण 1.- भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा अथवा प्रसार भारती प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, जिनकी ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा है, उन पर भी प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और उनमें से किसी के चयन हो जाने की दशा में पद प्रोन्नित से भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2.- प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रबंध कॉडर में भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कॉडर, दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रबंध कॉडर, दूरदर्शन प्रस्तुतिकरण कॉडर से संबंधित ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों तथा प्रसार भारती प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की पात्रता सूची उनकी पात्रता सेवा के पूर्ण होने की तिथि के आधार पर बनाई जाएगी, जो कि इस शर्त के विषयाधीन होगी कि उनके संबंधित कॉडरों में परस्पर वरिष्ठता को बनाए रखा जाएगा और एक ही तारीख को एक से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति की दशा में पात्रता सूची में उनके स्थान को उनकी जन्म की तारीख के अनुसार, जो 'बड़ा है वह ज्येष्ठ है' के सिद्धांत पर अवधारित किया जाएगा।

टिप्पण 3.- प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की पात्रता के अवधारण के लिए नियत तारीख रिक्ति होने के वर्ष की 01 जनवरी होगी।

टिप्पण 4.- प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी। यद्यपि, प्रतिनियुक्ति की यह अवधि साथ में इसी अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य नि:संवर्गीय पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 5.- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तारीख़ को अठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे मेट्रिक्स में लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
महानिदेशक (दूरदर्शन)	01 (2019)	लागू नहीं	लेवल-16 (रु. 205400 – 224400).

क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धित चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नित से या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितयों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति /आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना
(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं	पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि अनुबंध सहित)	पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध सहित): 1. अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा के ग्रुप 'ए' के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; या (ii) वेतन मेट्रिक्स में स्तर 15 (रु. 182200-224100) में उच्च प्रशासनित ग्रेड में एक वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या (iii) पे मेट्रिक्स में लेवल 14 (रु. 144200-218200) में चार वर्ष की नियमित सेवा के साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध; और (ख) मीडिया या जन संचार या लोक प्रशासन में अनुभव; या ।: स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक संस्थान या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; या (ii) पे मेट्रिक्स या समकक्ष में लेवल 15 (रु. 182200-224100) में एक वर्ष की नियमित सेवा; या (iii) पे मेट्रिक्स या समकक्ष में लेवल 14 (रु. 144200-218200) में चार वर्ष की नियमित सेवा; और (ख) निम्नलिखित शिक्षा योग्यता और अनुभव रखते हों; अर्थात्:- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष; और (ii) पे मेट्रिक्स या समकक्ष पे लेवल 10 (रु. 56100-177500) या ऊपर के पद पर न्यूनतम पच्चीस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पंद्रह वर्ष किसी ऐसे संगठन में ज्येष्ठ कार्यपालक की हैसियत में कार्य किया हो जो मीडिया या जनसंचार या नीति योजना या लोक प्रशासन से संबंधित हो तथा जिसका उच्च प्रबंधकीय स्थिति में प्रमाणित और विशिष्ट रिकार्ड हो। वांखनीय:- इस पद से संबंधित क्षेत्र जैसे कि प्रसारण, वित्त, कार्मिक	लागू नहीं

प्रबंध, समसामयिक विषय, प्रसारण इंजीनियरी और प्रौद्धोगिकी, संचार कला और संस्कृति, शिक्षा आदि का व्यापक ज्ञान।

टिप्पण 1.- भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा अथवा प्रसार भारती प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, जिनकी ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा है, उन पर भी प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और उनमें से किसी के चयन हो जाने की दशा में पद प्रोन्नति से भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2.- प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रबंध कॉडर में भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कॉडर, दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रबंध कॉडर, दूरदर्शन प्रस्तुतिकरण कॉडर से संबंधित ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों तथा प्रसार भारती प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की पात्रता सूची उनकी पात्रता सेवा के पूर्ण होने की तिथि के आधार पर बनाई जाएगी, जो कि इस शर्त के विषयाधीन होगी कि उनके संबंधित कॉडरों में परस्पर वरिष्ठता को बनाए रखा जाएगा और एक ही तारीख को एक से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति की दशा में पात्रता सूची में उनके स्थान को उनकी जन्म की तारीख के अनुसार, जो 'बड़ा है वह ज्येष्ठ है' के सिद्धांत पर अवधारित किया जाएगा।

टिप्पणी 3.- प्रोन्नित अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की पात्रता के अवधारण के लिए नियत तारीख रिक्ति होने के वर्ष की 01 जनवरी होगी।

टिप्पणी 4.- प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्ष होगी। यद्यपि, प्रतिनियुक्ति की यह अविध साथ में इसी अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य नि:संवर्गीय पद में प्रतिनियुक्ति की अविध, साधारणतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 5.- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तारीख़ को अठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

दिनेश माहुर, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./193/19]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2019

No. N-10/001(6)/2015-PBRB.—In exercise of the powers conferred by section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clause (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Director General (Akashvani) and Director General (Doordarshan) (Recruitment) Regulations, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Director General (Akashvani) and Director General (Doordarshan) Recruitment Regulations, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990);
 - (b) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations; and
 - (c) words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, educational and other qualifications, experience and period of probation relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (11) of the said Schedule.
- Appointing Authority.—The appointment to the posts specified in column (1) of the Schedule shall be made
 by the Prasar Bharati Board, being a recruitment Board as per the proviso to section 10 of the Act.
- Disqualification.—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt, with prior approval of the Central Government, any person from the operation of this regulation.

- 7. **Power to relax.**—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons with the prior approval of the Central Government.
- 8. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Corporation in consultation with the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number o posts.	f Classification.		Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director General (Akashvani).	01 (2019).	Not applicable.	Level-16 (Rs. 205400 – 224400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable,	Not applicable.	By promotion or deputation (including short-term contract).	Promotion or Deputation (including short term contract): I: Group 'A' officers of All India Services or Central Services: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with one year regular service in Higher Administrative Grade in level 15 (Rs. 182200-224100) in the pay matrix; or (iii) with four years regular service in Level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix and empanelled as Joint Secretary to the Government of India; and (b) having experience in media or mass communication or public administration; or II: Officers of the autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutions:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with one year regular service in level 15 (Rs. 182200-224100) in the pay matrix or equivalent; or (iii) with four years regular service in Level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the following education qualification and experience, namely:- (i) Degree from a recognised University or equivalent; and (ii) minimum twenty-five years' of experience in a post of or above level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent, out of which at least fifteen years should have been in senior executive position in the area of media or mass communication or policy planning or public administration with proven and outstanding track record. Desirable:- Broad knowledge of areas like broadcasting, finance, personnel management, current affairs, broadcasting engineering and technology, communications, arts and culture or education, as may be relevant to the post. Note 1 Officers of the Senior Administrative Grade of Indian Broadcasting (Programme) Service with four years regular service in the grade shall also be considered along with applicants for appointment on deputation	

basis and in case any of them is selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2 For the purpose of promotion, eligibility list of Senior Administrative Grade Officers belonging to Indian Broadcasting (Programme) Service in Programme Management cadre of All India Radio, Programme Production Cadre of All India Radio, Programme Production Cadre of Doordarshan and Programme Production Cadre of Doordarshan and Senior Administrative Grade of Prasar Bharati Broadcasting (Programme) Service shall be prepared on the basis of their date of completion of eligibility service subject to the condition that the inter-se-seniority in their respective cadres shall be maintained and in case there are more than one officer appointed on the same date, their placement in the eligibility lists shall be determined according to their date of birth, on the principle of "Older the Senior". Note 3 The crucial date for determining the eligibility of officers for promotion or deputation shall be the 1st January of the year of vacancy. Note 4 The Period of deputation shall be three years. However, this period of deputation alongwith the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 5 The maximum age limit for appointment

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Director General (Doordarshan).	01 (2019).	Not applicable.	Level-16 (Rs. 205400 – 224400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	deputation / absorption, grades from which	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion or deputation (including short- term contract).	Promotion or Deputation (including short term contract) I: Group 'A' officers of All India Services or Central Services:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis;	Not Applicable.

- (ii) with one year regular service in Higher Administrative Grade in level 15 (Rs. 182200-224100) in the pay matrix; or
- (iii) with four years regular service in Level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix and empanelled as Joint Secretary to the Government of India; and
- (b) having experience in media or mass communication or public administration; or
- II: Officers of the autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutions:-
- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with one year regular service in level 15 (Rs. 182200-224100) in the pay matrix or equivalent; or
- (iii) with four years regular service in Level 14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix or equivalent; and
- (b) possessing the following education qualification and experience, namely:-
- (i) Degree from a recognised University or equivalent; and
- (ii) minimum twenty-five years' of experience in a post of or above level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent, out of which at least fifteen years should have been in senior executive position in the area of media or mass communication or policy planning or public administration with proven and outstanding track record.

Desirable:-

Broad knowledge of areas like broadcasting, finance, personnel management, current affairs, broadcasting engineering and technology, communications, arts and culture or education, as may be relevant to the post.

Note 1.- Officers of the Senior Administrative Grade of Indian Broadcasting (Programme) Service or Prasar Bharati Broadcasting (Programme) Service with four years regular service in the grade shall also be considered along with applicants for appointment on deputation basis and in case any of them is selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2.- For the purpose of promotion, eligibility list of Senior Administrative Grade Officers belonging to Indian Broadcasting (Programme) Service in Programme Management cadre of All India Radio, Programme Production Cadre of All India Radio, Programme Management Cadre of Doordarshan and Programme Production Cadre of Doordarshan and Senior Administrative Grade of Prasar Bharati Broadcasting (Programme)

Service shall be prepared on the basis of their date of completion of eligibility service subject to the condition that the inter-se-seniority in their respective cadres shall be maintained and in case there are more than one officer appointed on the same date, their placement in the eligibility lists shall be determined according to their date of birth, on the principle of Older the Senior.
Note 3 The crucial date for determining the eligibility of officers for promotion or deputation shall be the 1 st January of the year of vacancy.
Note 4 The Period of deputation shall be three years. However this period of deputation alongwith the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
Note 5 The maximum age limit for appointment for deputation shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of the applications.

DINESH MAHUR, Addl. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./193/19]